

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं० सं०-10/निजी-01-1038/26-

पटना/दिनांक-

श्रीमती खुशबू कुमारी (आई०डी०-5920), सहायक अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान का दिनांक-20.06.2026 से दिनांक-16.12.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों के अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 "ख", वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 एवं पत्रांक-2555 दिनांक-29.03.2016 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1242(21) दिनांक-21.07.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती कुमारी के अवकाश लेखा में शेष-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1038/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-PCFC/IRR/BES/2024/2310-1242(21) दिनांक-21.07.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1038/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1038/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2024/2310-1242(21) दिनांक-21.07.2026 संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1038/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती खुशबू कुमारी (आई०डी०-5920), सहायक अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1038/26-

3516

पटना/दिनांक- 07/08/2026

प्रतिलिपि -कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)